ACTION TAKEN REPORT OF MPPCB

IN

Original Application No.696/2019 (CZ)

Residents of Village Jhirania,

Gandhi Nagar, Bhopal

VS

State of Madhya Pradesh

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

Original Application No. 696/2019

Petitioner **Residents of Village Jhirania,Gandhi Nagar, Bhopal**

Versus

Respondents **State Of M.P. & Others**

ACTION TAKEN REPORT BY MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD [MPPCB] IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED IN ORDER DATED 20.12.2019

1. It is most humbly stated that, after considering the report dated 23.11.2019 filed by the MPPCB, the Hon'ble Tribunal was pleased to direct the M. P. Pollution Control Board to recover compensation from M/s Jhulelal Stone Crusher, Village Jhirniya, on 'Polluter Pays' principle after following due procedure of law and giving an opportunity of hearing to the unit.

2. The Environmental compensation was assessed on the M/s Jhulelal Stone Crusher by the Regional Officer, MPPCB, Bhopal on the basis of the formula derived by CPCB and adopted by MPPCB. The Assessment report dated 17.02.2020 has been enclosed as **Annexure R-1.** The environment Compensation of Rs 40,75,000 [Rs Forty Lakhs Seventy Five Thousand] was proposed by the Regional Officer.

3. That, an opportunity of being heard was given to M/s Jhulelal Stone Crusher vide letter dated 13.03.2020 to show cause why the Environmental compensation of Rs 40,75,000 shall not be imposed on the unit. The copy of letter dated 13.03.2020 has been enclosed as **Annexure R-2**

Shrivastava

4. Further that, a letter was again issued to the crusher unit on 25.05.2020 since no response was received from them. The copy of letter dated 25.05.2020 is enclosed as **Annexure R-3.**

5. In absence of any response from the unit despite giving the opportunity of being heard, the MPPCB vide its order dated 06.07.2020 directed M/s Jhulelal Stone Crusher to deposit the amount of of Rs 40,75,000 with MPPCB as Environmental compensation. The copy of letter dated 25.05.2020 is enclosed as **Annexure R-4.**

6. It is further stated that, on 23.07.2020 the occupier of M/s Jhulelal Stone Crusher had filed an appeal against the order of MPPCB dated 06.07.2020 before the appellate authority constituted under section 31 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. However the appeal was dismissed by the appellate authority vide its order dated 30.09.2020 in view of the instant matter being pending before the Hon'ble Tribunal. The copy of the order dated 30.09.2020 is enclosed herewith as **Annexure R-5.**

7. It is most humbly prayed that the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass appropriate order in the matter so that further action can be initiated by the answering respondent.

Date :- 12.10.2020

Submitted By:-

Shrivastava

Sudhir Shrivastava

[Law Officer, MPPCB]

Annexure R-1
26 (4)

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Phone -0755-2466392, Fax- 0755- 4278342 E-Mail- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 608 /क्षेका/प्रनिबो/2020 भोपाल, दिनांक 17/2/2020

प्रति,

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल ।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, प्रिंसपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 696/2019 दिनांक 20–12–2019 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में ।

संदर्भः– मुख्यालय का पत्र क्रमांक 52/विधि/एनजीटी–पीबी/दिनांक 13–01–2020 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, प्रिंसपल बेंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/2019 झूलेलाल स्टोन क्रेशर, ग्राम झिरनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में दिनांक 16–09–2019 को इस आशय का आदेश पारित किया कि **"म.प्र.प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड झूलेलाल स्टोन क्रेशर के मेटर में निरीक्षण उचित कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें"** तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 23–11–2019 को माननीय अधिकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई <u>**(संलग्नक–1)**</u>। क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20–12–2019 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि **"म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झूलेलाल स्टोन क्रेशर पर पॉलूटर पे प्रिंसपल के आधार बगैर सम्मति इकाई का संचालन करने के कारण पेनाल्टी अधिरोपित करें"** ।

माननीय अधिकरण व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण की गाइडलाईन में इन्वायरमेंट कम्पनसेशन निर्धारण का फार्मूला निम्नानुसार है :–

EC : Environmental Compensation

P1 : Pollution Index of Industrial Sector (Red-80, Orange-50, Green-30)

N : Number of Day of Violation took place

R : A Factor of Rupees for EC (Minimum-Rs. 100 & Maximum- Rs. 500. It is suggested to consider R as 250)).

S : A Factor for Scale Opreation (0.5 Micro or Small, 1-.0 for Medium and 1.5 for Lagge unit) catrgary industry,

प्रस्तुत
17/2/20

LF : Location Factor (10 Km distance for the municipal boundry of the city/town)

Location factor Valus

S.No.	Population(Million)	Location Factor
1.	Less than 1	1.0
2.	1 to < 5	1.25
3.	5 to < 10	1.5
4.	10 and above	1.25

चूंकि इकाई दिनांक 01/01/2019 से 22/11/2019 तक बगैर सम्मति संचालित पाई गई।अतएव पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु माननीय अधिकरण द्वारा दी गई गाइडलाईन अनुसार गणना निम्नानुसार है :–

1. झूलेलाल स्टोन क्रेशर P1: 80 लाल श्रेणी में आता है ।
2. झूलेलाल स्टोन क्रेशर दिनांक 01/01/2019 से 22–11–2019 तक बोर्ड की बिना सम्मति उत्पादनरत् रहा जो अवधि N-326 दिन होती है ।
3. झूलेलाल स्टोन क्रेशर R: 250
4. झूलेलाल स्टोन क्रेशर स्टोन क्रेशर लघु उद्योग है, अतएव S-50 ।
5. झूलेलाल स्टोन क्रेशर की भोपाल नगर निगम सीमा से दूरी 0.7.......कि0मी0 है।अतएव जनसंख्या अनुसार LF: 1.25 है ।

<u>अतएव निर्धारित फार्मूला अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना</u>

EC= P1 X N X R X S X LF

= 80 X 326 X 250X0.5X1.25

= 40, 75,000

अतः बोर्ड के आदेश क्रमांक 1743 दिनांक 30–07–2019 अनुसार झेलूलाल स्टोन क्रेशर के विरूद्ध उपरोक्तानुसार इन्वायरमेंट कम्पनसेशन आंकलन हेतु कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है ।

(ए0के0मिश्रा)
डायरेक्टर पर्यावरण

48 (6)
Annexure R-2

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

पंजीकृत डाक से

क्रमांक 295 /प्रनिबो/2020 भोपाल, दिनांक 13 MAR 2020

प्रति,

अधिष्ठाता,
मैसर्स झूलेलाल स्टोन क्रशर,
ग्राम झिरनिया मुगालिया हाट,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए, के अन्तर्गत निर्देश का प्रस्ताव ।

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/19 में दिनांक 20/12/19 को पारित आदेश

2 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 17/2/2020

:–:–:–:–:

1 यह कि, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है, बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है ।

2. यह कि, आपके द्वारा भोपाल जिले के ग्राम झिरनिया मुगालिया हाट में मैसर्स झूलेलाल स्टोन क्रशर्स के नाम से उद्योग संचालित किया जा रहा है ।

3 यह कि, उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सभी वायु प्रदूषणकारी स्रोतों पर वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अन्दर बनाये रखना विधिक अनिवार्यता है ।

4 यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेन्च नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/19 में दिनांक 20/12/2019 को निर्णय पारित कर स्टोन क्रशर के बिना सम्मति संचालित होने के कारण पेनल्टी अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

5 यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपका संस्थान दिनांक 1/1/2019 से 22/11/2019 तक बिना सम्मति संचालित पाते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के फार्मूले EC=PI x N x R x S x LF अनुसार रूपये 40,75,000/– पेनल्टी निर्धारित की गई है ।

अतः **वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम** 1981 की धारा 31 क **में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग** करते हुये बोर्ड आपको निर्देश देता है कि पत्र जारी करने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उक्त पैनाल्टी राशि जमा करायें । आप चाहें तो लिखित रूप में अपना पक्ष पत्र जारी होने के दिनांक से 15

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन नहीं पाये जाने पर बोर्ड संस्थान के विरूद्ध वायु अधिनियम की धारा 31 'क', 37 के प्रावधानों के तहत् बोर्ड वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा ।

पत्र की पावती व पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से
तथा आदेशानुसार

(आर0एस0 कोरी)
सदस्य सचिव,

क्रमांक 296 /प्रनिबो/2020 भोपाल, दिनांक 13 MAR 2020

प्रतिलिपिः-

1 क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आर0एस0 कोरी)
सदस्य सचिव,

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल–462016

Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

Annexure R-3

क्रमांक 382 /विधि/NGT-CZ/प्रनिबो/20 भोपाल, दिनांक 12 May 2020

प्रति,

अधिष्ठता,
मेसर्स झूलेलाल स्टोन क्रेशर
ग्राम झिरनिया मुगालिया हाट,
भोपाल –(म.प्र.) ।

विषय :– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निर्देश तथा आपके संस्थान पर अधिरोपित पैनाल्टी बावत् ।

सन्दर्भ :– बोर्ड का पत्र क्रमांक 295 दिनांक 13.03.120 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो (प्रति संलग्न है)। जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई द्वारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/2019 में दिनांक 20.12.2019 को निर्णय पारित कर स्टोन क्रेशर के बिना सम्मति संचालित होने के कारण पेनल्टी अधिरोपित किये जाने के निर्देश के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के फार्मूले अनुसार रूपये 40,75,000 (चालीस लाख पच्चतर हजार मात्र) की पैनल्टी राशि निर्धारित की गई है।

आपको वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये संदर्भित पत्र के माध्यम से 15 दिन का समय पेनाल्टी जमा करने व पक्ष रखने हेतु दिया गया था, परन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा कोई पत्राचार नही किया गया है।

अतः आपको अंतिम सुनवाई के रूप में सूचित किया जाता है कि पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पेनाल्टी राशि जमा कराये । यदि आप चाहे तो लिखित अथवा मौखिक रूप मे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा बोर्ड संस्थान के विरूद्व वायु अधिनियम की धारा 31 के तहत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(आर.एस.कोरी)
सदस्य सचिव

क्रमांक 383 /विधि/NGT-CZ/प्रनिबो/20 भोपाल, दिनांक 12 6 MAY 2020

प्रतिलिपि :–

1 क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संस्थान को उक्त पत्र की प्रति भेजकर पत्र प्राप्ति की पावती से मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(आर.एस.कोरी)
सदस्य सचिव
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

Annexure R-4

(9)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016

Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 492 /विधि/NGT-PB/प्रनिबो/20 भोपाल, दिनांक 6 JUL 2020

प्रति,

अधिष्ठता,
मेसर्स झूलेलाल स्टोन क्रेशर
ग्राम झिरनिया मुगालिया हाट,
<u>भोपाल -(म.प्र.)</u> ।

विषय :- माननीय एनजीटी द्वारा प्र.क्र. 696/2019 में दिनाक 20.12.19 को पारित आदेश अनुसार अधिरोपित पैनाल्टी राशि जमा करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निर्देश ।

सन्दर्भ :- 1 माननीय एनजीटी द्वारा प्र.क्र. 696/19 में दिनांक 20.12.19 को पारित आदेश ।
2 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 608 दिनांक 17.02.2020 ।
3 बोर्ड का पत्र क्रमांक 295 दिनांक 13.03.20
4 बोर्ड का पत्र क्रमांक 382 दिनांक 25.05.20 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/2019 में दिनांक 20.12.2019 को पारित आदेश अनुसार स्टोन क्रेशर के बिना सम्मति संचालित होने के कारण संस्थान पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन के फार्मूले अनुसार रूपये 40,75,000 (चालीस लाख पच्चतर हजार मात्र) की पैनल्टी राशि निर्धारित की गई ।

संस्थान पर उपरोक्त पैनल्टी राशि अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के अन्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 3 एवं 4 जारी किये गये । दिनांक 25.05.2020 को जारी पत्र विशेष वाहक द्वारा दिनांक 17.06.2020 को सौपा गया । संस्थान द्वारा आज दिनांक तक अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये संस्थान पर अधिरोपित पैनल्टी राशि रूपये 40,75,000 (चालीस लाख पच्चतर हजार मात्र) जमा करने हेतु निर्देश जारी करता है कि संस्थान उक्त पैनल्टी राशि 15 दिवस के अन्दर बोर्ड को नीचे दिये गये बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करें।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल–462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

(10)

कृपया सूचित हो कि उपरोक्त निर्देशो का पालन नही करने पर बोर्ड संस्थान के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 क के अन्तर्गत न्यायालयीन कार्यवाही हेतु बाध्य होगा । पत्र की पावती भेजे ।

बोर्ड का खाता क्रमांक 6310001200000043
IFSC Code-PUNB0631000

बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार

(ए0ए0मिश्रा)
सदस्य सचिव

क्रमांक 492 /विधि/NGT-PB/प्रनिबो/20 भोपाल, दिनांक 6 JUL 2020
प्रतिलिपि :–

1 क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2 वित्त अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

(11)

Annexure R-5

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 604 / 387 / 2020 / 32–3 भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर,2020

प्रति,

श्री दिलीप कुमार प्रीतमानी,
मेसर्स झूलेलाल स्टोन क्रेशर,
खसरा कं0 6 / 2,ग्राम रसूलिया पठार,
तहसील हूजूर,जिला भोपाल,म0प्र0

विषयः वायु अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील–श्री दिलीप कुमार प्रीतमानी,मेसर्स झूलेलाल स्टोन केशर,तहसील हूजूर,जिला भोपाल ।

संदर्भः आपकी अपील दिनांक 23 / 7 / 2020

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मे संदर्भित अपील का कृपया अवलोकन करें ।

2/ विषयांकित प्रकरण में लेख है कि माननीय एनजीटी में प्रकरण कमांक ओए0 696 / 2019 वर्तमान में प्रचलित है । प्रकरण माननीय एनजीटी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण आपकी अपील खारिज की जाती है ।

(राकेश कुशरे) 30/9/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

क्रमांक 605 / 387 / 2020 / 32–3 भोपाल, दिनांक सितम्बर,2020

प्रतिलिपिः

1/ सदस्य सचिव,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।
2/ क्षेत्रीय अधिकारी,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग